नौकरी बचाओ - भविष्य बचाओ !
कोका-कोला व्यवस्थामें नौकरियों को खत्म करने का विरोध

आयु. यु. एफ्. विश्व कोका-कोला कामगारोंका अलायन्स
नौकरियोंको खत्म करने के खिलाफकी मांगोका चार्टर

हम, कोका-कोला व्यवस्थामें विश्वभरमें फैली कामगारोंके ट्रेट युनियन्स, आय.यु.एफ्. विश्व कोका-कोका वर्कर्स अलायन्स के सभी सदस्य गौर करते है की,

- कामके अनिश्चित हालातों मे रहकर कोका-कोलाके उत्पादन, वितरण, विक्री (मार्केटिंग) और अन्य तरीकोंसे जुडे कामगारोंकी संख्या कभी नही उतनी ज्यादा बढ़ी है ।

- यह अस्थायी मजदूर स्थायी मजदूरोंकी तुलना में बहुतही खराब शर्तों और हालातोपर ज्यादातर बिना किसी सुरक्षा या हामी के या उसके बहुतही बेअसर स्वरुप मे काम करते है ।

- मालिकोंके दोनो गुट एक दुसरे के उपर जिम्मेदारी ढकेलते हुए भविष्य में दीर्घ समयतक अपने अपने और इकठ्ठा हितोंके आधारकोही क्षति पहुचा रहे है ।

- पुरे विश्वमें अलग अलग तरीकोंसे अलग अलग रुप में कामगारोंके अधिकारोंको कुचला जा रहा है ।

- अस्थायी नौकरियाँ दीर्घ समयमें व्यापारके लिए हानिकारक हैही साथही यह कार्यक्षमता, उत्पादकता, उत्पादनके तुटने फुटने से होनेवाला नुकसान, मजदूरोंकी मानसिकता तथा पुरेव्यापारपर विपरित परीणाम करती है ।

दीर्घ समय तक चलने वाला यशस्वी उद्योग खडा करने की जरुरत को हम अधोरेखित करते है, जिसमे मालिक मजदुरों के संबंध उच्छे हो और मजदूरोंके कानूनन प्रतिनिधीकी हैसियतसे स्वतंत्र लोकतात्रिक युनियन्स हो । ट्रेट युनियन्सको स्थायी मजदूरोंके साथही अस्थायी मजदूरोंके हकोंकाभी प्रतिनिधीत्व करनेका हक होना चाहिए । अस्थायी मजदूरोके युनियनसे जुडनेपर कोई रोकथाम नही होनी चाहिए ।

इसिलिए हमने निम्न इकठ्ठा मांगोंका प्रचार करने, समर्थन करने तथा उन्हे पानेके लिए कमर कसने का फैसला किया है । कोका-कोला व्यवस्थामे अच्छी/आदर्श नौकरियोंको संरक्षित रखने के हेतू हम हमारे सदस्योको इन माँगोका समर्थन करने का प्रशिक्षण देगे, हम उन्हे सभी उचित स्तरोंपर व्यवस्थापनसे हो रही बातचीतोंमे शामील करेंगे । स्थानिक, प्रातीय, राष्ट्रीय तथा विश्व स्तरपर युनियन्सकेमाँगो तथा करोरोंके ढाचे बनाने में भी उनमेसे ज्यादा से ज्यादा सदस्योंको शामील करेंगे ।

१. कोका-कोला व्यवस्थामे बॉटलर्सने स्थायी नौकरियोंको वर्तमान स्थिती **'जैसे थे'** रखनी चाहिए । वर्तमान काम की जगह अब और किसी के हाथ नही सौंपी जानी चाहिए और ना हीअस्थायीकामगारोंको वह काम सोपा जाए ।

२. **सभी कोका-कोला व्यवहारोंमे अस्थायी किस्मके कुछ कामोंपर पुरी तरह पाबंदी होनीचाहिए ।** उनमे है काम के अनौपचारिक संबंध, झुठी कंपनियां और डे वर्कर्स आदी । इन व्यवस्थाओंमेमजदूरोंको उन कोका-कोला बॉटलर या सप्लायर के साथ नियमित मजदूर संबंध स्थापिक्त करने का मौका मिलना चाहिए ।

३. कोका-कोला व्यवस्था सिर्फ मजदूरोंकी **संक्रमणकालीन कमी के समय तथा ज्यादा मजदूरोंकीअंशकालीन जरुरतपरही किसीभी किस्म के अस्थायी मजदूर संबंधोमे कदम रखेगी ।**

४. अस्थायी मजदूरोंकी (मजदूर एजन्सीके याँ टेपरी मजदूर) संख्या **वर्तमान संख्यासे बढनी नहीचाहिए ।** उसके साथही जहाँ इनकी संख्या कुल मजदूरोंकी संख्या के १०% से ज्यादा है, भविष्यमें वो **किसीभी हालात में किसी भी रुपमें** कुल मजदूर संख्या के १०% से ज्यादा नही होनी चाहिए । राष्ट्रीय या स्थानिक स्तरपर १०% से कम संख्या युनियन और व्यवस्थापनमें आपसी चर्चाओंमे निश्चित की जाए । युनियन और व्यवस्थापन उद्योग के चरम समयमें ज्यादा प्रतिशत का और मंदी के समय कम प्रतिशत का करार कर सकते है । लेकिन चरम समय (हाय सिझन) ६ महिने से ज्यादा नही होना चाहिए और कुल मिलाकर पुरे सालका ॲव्हरेज भी १०% ज्यादा नही होना चाहिए । अगर अस्थायी मजदूरोंकी जरुरत १०% से ज्यादा हो (या इससे कम प्रतिशत जो युनियन और व्यवस्थापनने कमाल मर्यादा के तहत मंजूर किया हे) और ये जरुरत ६ महिनेसे ज्यादा समयतक हो तो उन मजदूरोंको उस कोका-कोला बॉटलर के नियमित मजदूर बना दिये जाए ।

५. कोई अन्य (थर्ड पार्टी) अगर कोका-कोला बॉटलर या सप्लायर को अस्थायी मजदूर का सप्लाय करता है (मजदूर एजन्सी या सब कॉन्ट्रॅकटर या अन्य) तो उसेभी **उचित मजदूर निर्देशोंका अवलंब करना होगा ।** उनका स्वतंत्र लोकतांत्रिक ट्रेड युनियन के साथ अपनी माँगोंके लिए सांझी कोशीशका करार होना चाहिए । उन्हे निश्चित (स्थायी) मजदूर संबंधोको और अन्य मजदूरोंके लिए नौकरी की हामी को संरक्षित रखना होगा । मजदूर एजसियोंके मजदूरोंको कोका-कोला बॉटलर के पास अगर स्थायी नौकरियाँ पानेका मौका मिलता हो तो उन्हेमजदूर एजसियोंने वो मौका देना चाहिए ।

६. **अगर काम अपने मजदूरोंसे हो सकता है तो मजदूर एजंसियोंसे मजदूर उस काम के लिए नही लेने चाहिए ।** अस्थायी मजदूरोंका उपयोग करके नियमित कामगारोंको ज्यादा / अनावश्यक नही ठहराया जाये ।

७. स्पष्टरुपसे निर्दीष्ट शर्तोपर कोका-कोला व्यवस्थामें एजंसी मजदूर या टेपरी मजदूरोंको रखना अगर जरुरीही हो तो उन्हेंभी नियमित स्थायी कोका-कोला बॉटलर्स मजदूरों जैसीही वेतन सुविधाए, कामका समय, काम के जगह के हालात और अन्य शर्ते होनी चाहिए । एंजसीके या टेंपरी मजदूरोंको भी ट्रेड युनियनके पुरे अधिकार होने चाहिए और लिंग, वंश या अन्य किसीभी आधारपर उनसे भेदभाव नही होना चाहिए ।

८. उपर बताये गये तत्वोंको अगर तोडा जाता है तो उससे पीडित अस्थायी मजदूरोंको **संबंधित कोक कंपनीमे नियमित कामगारोंके तौरपर लिया जाए ।** उत्पादन की मांग बढनेपर अगरदीर्घकाल तक ज्यादा मजदूरोंकी जरुरत हो तो एजंसीके मजदूरोंको वह मौका दिया जाए । अगर कोई एजंसी अपने मजदूरोंको नौकरीकी अच्छी शर्तोंके तत्का पालन नही करती तो उसेइस बातके लिए कंपनीने इशारा देना चाहिए और **इशारोंके बावजूदभी अगर किसी एजंसीका इस बारेमें रवैया नही बदलता तो ऐसी एजन्सीकेसाथ के व्यापारी रिश्ते को खत्म करना चाहिए ।**

९. **इंडस्ट्रीयल तणाव के समय एजंसीके या टेपरी मजदूरों का इस्तेमाल करके इंडस्ट्रीके व्यवहारोंके आधार को ही हानि नही पहुचानी चाहिए ।**